कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा दिनांक 07.01.2012 को किए गए जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की निरीक्षण टिप्पणी :-

► परिचय :-

जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग समाहरणालय परिसर के दक्षिण-पूर्वी भाग में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप अवस्थित है। इस भवन में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अतिरिक्त जिला भविष्य निधि कार्यालय, जिला भू-अर्जन कार्यालय अवस्थित है। उक्त कोषांग 18X20 फीट के बड़े कमरे में चलता है जिसको विभक्त कर पदाधिकारी एवं कर्मी बैठ्ते हैं। इस कोषांग में कुल दो लिपिक एवं एक कार्यालय परिचारी पदस्थापित हैं। वर्तमान में श्री कुशेश्वर दास दिनांक 30.11.2010 से सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित हैं।

निरीक्षण के क्रम में यह दृष्टिगत हुआ कि जिस भवन में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कार्य करते हैं, वह काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में था जिसमें एक माह पूर्व रंगाई-पुताई एवं मरम्मति का कार्य प्रारंभ हुआ है जो अभी भी अधूरा है। इस निमित्त कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त भवन की मरम्मति एवं रंगाई-पुताई का कार्य अगले 15 दिनों के अन्दर पूर्ण कर लिया जाय। **(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर)**

उक्त भवन परिसर के पश्चिम में बरामदे के बाहर काफी गंदगी दिखायी देती है जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ कुछ व्यक्तियों द्वारा जानवरों को रखा जाता है जिसके कारण वहाँ गंदगी व्याप्त है। अतः खास महाल पदाधिकारी इस बात की जांच करें कि वे जानवर किस व्यक्ति के हैं और किस व्यक्ति द्वारा उक्त परिसर पर अतिक्रमण किया गया है। साथ ही जानवरों को परिसर से बाहर करने एवं अतिक्रमण से मुक्त करने का कार्य दिनांक 30.01.2012 तक अवश्यक पूरी कर ली जाय।

(अनुपालन- खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर)

इसके अतिरिक्त राजस्व भवन, जिला कल्याण कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला भू-अर्जन कार्यालय इत्यादि सभी कार्यालयों को घेरते हुए एक परिसर में परिणत करने एवं चारों तरफ चहारदिवारी निर्माण का कार्य भवन प्रमंडल, मुंगेर द्वारा किया जा रहा है। इस तरह परिसर के पूर्वी भाग को देखने से स्पष्ट होता है कि यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है जिसके कारण रात्रि को यह परिसर अभी भी असुरक्षित है, अतः उक्त निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर)

► कार्यालय स्थापना :-

निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में 04 लिपिकों एवं एक कार्यालय परिचारी का पदस्थापन है किन्तु वर्तमान में श्री मुरलीधर प्रसाद एवं श्री आशुतोष घोष क्रमशः जिला शस्त्र शाखा एवं जिला विकास शाखा में प्रतिनियुक्त हैं। यह सत्य है कि कार्यालय पदस्थापन में लिपिकों की संख्या कुछ कम है जिसको उपलब्धता के आधार पर बढ़ाने का प्रयास स्थापना उपसमाहर्त्ता, मुंगेर द्वारा किया जाय। **(अनुपालन- स्थापना उपसमाहर्त्ता, मुंगेर)**

► जिला सामाजिक सुरक्षा से कार्यान्वित योजनाएं

❖ पारिवारिक लाभ योजना :-

पारिवारिक लाभ योजना में इस वर्ष बिहार सरकार ने दो चरणों में, यथा- सामान्य घटक में 58,00,000 (अंठावन लाख) रू0 एवं विशेष घटक में 20,00,000 (बीस लाख) रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ है जिसे इस कार्यालय के ज्ञापांक 624, दिनांक 30.07.2011, पत्रांक 813/सा0सु0, दिनांक 05.11.11 एवं पत्रांक 826/सा0सु0, दिनांक 10.11.11 से तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को उपावंटित की गयी है। इस प्रकार इस वर्ष लगभग 78,00,000 (अठहत्तर लाख) रू0 का आवंटन तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही पूर्व से भी पिछले वर्ष का आवंटन अनुमंडल पदाधिकारियों को दिया गया था जिसकी निकासी उनके द्वारा की गयी है किन्तु वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 का उपयोगिता प्रमाण पत्र अब तक अप्राप्त है एवं लाभार्थियों की सूची भी अधूरी प्राप्त है। अतः सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर सभी अनुमंडल पदाधिकारियों से अब तक दिये गये कुल आवंटन का व्यय प्रतिवेदन एवं लाभार्थियों की सूची शीघ्र प्राप्त करें ताकि समेकित प्रतिवेदन निदेशालय को भेजा जा सके।

(अनुपालन- सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर)

यह सही है कि ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं लाभार्थियों की सूची प्राप्त नहीं होने से योजना में पारदर्शिता का अभाव रहता है एवं अगले वर्ष के लिए बजट का आंकलन करना संभव नहीं रह जाता है, अतः सभी अनुमंडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 30.01.2012 तक लाभार्थियों की पूर्ण सूची संबंधित प्रखंडों से प्राप्त कर सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराया जाय तथा निर्धारित तिथि तक सूची के अप्राप्त रहने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। यह विदित हो कि पूर्व की साप्ताहिक बैठकों में भी तैयार प्रपत्रानुसार सूची बनाने का निदेश दिया गया था जिसका अनुपालन नहीं किया गया है। अतः सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर संबंधित पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य को दिनांक 30.01.2012 तक किसी भी परिस्थिति में पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर)

❖ पेंशन योजना :-

सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के कुल छह पेंशन योजनाएं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme) एवं बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये निधि से चलता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme) के तत्वावधान में तीन योजनाएं यथा- 1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 2. राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना एवं 3. राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कार्यान्वित हैं। इसी प्रकार बिहार सरकार द्वारा तीन योजना 1. वृद्धावस्था पेंशन योजना, 2. लक्ष्मीबाई पेंशन योजना एवं 3. बिहार विकलांगता पेंशन योजना कार्यान्वित की जा रही है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा भेजे गये औपबंधिक लाभार्थियों के लक्ष्य 48095 के विरुद्ध 42348 लाभार्थी उक्त योजना से आच्छादित हैं। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर द्वारा बताया गया कि लगभग 42000 लाभार्थियों का डाटाबेस में प्रविष्टि की जा चुकी हैं। इस निमित्त निदेश दिया गया कि उक्त डाटाबेस को राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड करने के लिए NIC के माध्यम से शीघ्र भेजें। साथ ही पूर्व में सभी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन करने का निदेश सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर को दिया गया। ऐसा संभव है कि इस संख्या में ऐसे भी कुछ लाभुक हैं जिनकी वास्तव में मृत्यु हो चुकी है, किन्तु मात्र असरगंज एवं जमालपुर को छोड़कर शेष प्रखंडों से सत्यापन प्रतिवेदन अभी भी अप्राप्त है तथा किसी भी प्रखंड से इस वित्तीय वर्ष का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है जबकि उसी सूची में 80 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लाभार्थियों को अधिक दर पर पेंशन भुगतान किया जाना है जिसके लिए सहायक निदेशक द्वारा तैयार 1708 लाभुकों की सूची संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करें। विदित हो कि सभी लाभुकों को डाकघर के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाता है तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भौतिक सत्यापन अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। अतः प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश निर्गत किये जायें कि दिनांक 30.01.2012 तक निश्चित रूप से पूर्व वित्तीय वर्ष के आच्छादित लाभान्वितों का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध करायें। साथ ही इस वित्तीय वर्ष का सत्यापन सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रंखडवार, पंचायतवार शिविर निर्धारित कर दिनांक 14.02.2012 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर)

पेंशन योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन की विस्तावपूर्वक समीक्षा करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये :-

1. प्रखंडवार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों एवं अनुमानित लक्ष्य को देखने से यह ज्ञात हुआ कि इंदिरा गांधी पेंशन योजना से धरहरा, जमालपुर एवं टेटियाबंबर प्रखंड के लाभार्थियों की संख्या अनुमानित संख्या से काफी कम है।
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना अन्तर्गत सामान्यतः सभी प्रखंड अनुमानित संख्या से अत्यन्त कम है।
3. संग्रामपुर प्रखंड में बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के लाभार्थियों की सूची अनुमानित संख्या से काफी कम प्रतीत होती है।

अतः संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी इसके लिए विशेष तौर पर शिविर का आयोजन कर लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त कर जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन–सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, विशेषकर धरहरा/जमालपुर/टेटियाबंबर/संग्रामपुर)

किन्तु पूरे जिले के अनुमानित संख्या एवं लाभार्थियों की संख्या की गणना से स्पष्ट होता है कि अनुमानित संख्या का लगभग 80 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की जा चुकी है, अतः अब आवश्यक है कि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के तहत् दी जा रही सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर शेष सभी लाभार्थियों को आवेदन देने के लिए प्रयास करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की जाय।

(अनुपालन-सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

❖ **मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना :-**

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में प्राप्त राशि लगभग 18,00,000 (अठारह लाख) रू0 से ट्राईसाईकिल खरीदगी की गयी जिसका वितरण अभी तक चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्राप्त राशि लगभग 9,27,000 (नौ लाख सत्ताईस हजार) रू0 की निकासी कर रखा गया है जो कैशबुक में उपलब्ध है। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त लगभग 9,00,000 (नौ लाख) रू0 की अभी निकासी नहीं की गयी है। अतः निदेश दिया गया कि पूर्व वर्ष एवं इस वर्ष प्राप्त राशि को मिलाकर ट्राईसाइकिल क्रय कर वितरण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन- सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर)

❖ **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त आकस्मिकता निधि एवं उसका उपयोग :-**

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की 03 प्रतिशत राशि से प्रशासनिक व्यय का प्रावधान निदेशालय के पत्रांक 56, दिनाक 20.10.11 एवं व्यय हेतु मार्गदर्शिका विभाग के पत्रांक 2142, दिनांक 17.10.11 से प्राप्त है। साथ ही विशेष घटक एवं सामान्य घटक में लगभग 20,00,000 (बीस लाख) रू0 का आवंटन प्राप्त है। इस हेतु सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर गणनोपरान्त व्यय की जाने वाली राशि हेतु कार्य योजना तैयार यथाशीघ्र व्यय की कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन- सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर)

► **सामाजिक सुरक्षा की देख-रेख में संचालित विभिन्न संस्थान :-**

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर ने बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग की देख-रेख में निम्न संस्थाएं संचालित होती हैं :-

1. किशोर न्याय परिषद, मुंगेर।
2. बाल कल्याण समिति, मुंगेर।
3. पर्यवेक्षण गृह, मुंगेर।
4. मूक बधिर विद्यालय, मुंगेर।

मूक बधिर विद्यालय में वर्तमान में 25 के विरूद्ध 22 बच्चे नामांकित हैं एवं दो शिक्षक, एक रसोईया एवं एक रात्रि प्रहरी कार्यरत् हैं। मूक बधिर विद्यालय में पूर्व के संवेदक के गुणवत्ताविहीन कार्य की शिकायत निदेशक, सामाजिक सुरक्षा ने अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में दी थी जिसकी जांच के लिए अपर समाहर्त्ता, मुंगेर के नेतृत्व में त्रि-सदस्यीय दल का गठन किया गया था, जिनके जांच प्रतिवेदन अब तक उपलब्ध नहीं

कराया गया है। पुनश्चत निदेश दिया जाता है कि पूर्व में गठित जांच दल एक सप्ताह के अन्दर जांच प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से अवगत करायेंगे।

(अनुपालन–अपर समाहर्त्ता, मुंगेर)

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर ने बताया कि उक्त विद्यालय के भवन मरम्मति के लिए लगभग 3,00,000 (तीन लाख) रू0 का आवंटन प्राप्त हुआ है। इस निमित्त सहायक निदेशक कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर से प्राथमिकता के तौर पर सम्पर्क स्थापित कर उसका प्राक्कलन तैयार कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर)

उप निदेशक, समाज कल्याण विभाग, बिहार के पत्रांक 10/क्षेत्र/025–99–230, दिनांक 12.02.2009 से राजकीय नेत्रहीन एवं मूक बधिर विद्यालय में श्रवण अपंगता प्रशिक्षण के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को मशीन उपकरण, सामग्री आपूर्त्ति एवं कार्यालय व्यय में कुल 13,00,000 (तेरह लाख) रू0 उपलब्ध कराया गया है जो जिला कल्याण पदाधिकारी से स्थानांतरित होकर सामाजिक सुरक्षा कोषांग को प्राप्त हो चुका है जो कैशबुक में भी उपलब्ध है। अतः उक्त पत्र के आलोक में विभाग से विस्तृत मार्गदर्शिका प्राप्त कर कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर)

► **प्राथमिकताएं :–**

निरीक्षणोपरान्त स्पष्ट होता है कि जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निम्नलिखित कार्य प्राथमिकताओं में शामिल है :–

1. विकलांगता प्रमाणीकरण।
2. मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना।
3. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत् कार्यान्वित योजनाओं के डाटा का शत–प्रतिशत अपडेशन।
4. भविष्य में स्वीकृत की जाने वाली योजनाओं के मासिक तौर पर अद्यतीकरण।
5. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत 03 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय से MIS विकसित करना।
6. प्रखंडों एवं अनुमंडल कार्यालयों के सामाजिक सुरक्षा तंत्र (कम्प्यूटर/आलमीरा इत्यादि क्रय/मुद्रण सामग्री का क्रय इत्यादि) को सुदृढ़ करना।

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर का महत्वपूर्ण कार्य यह होना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर को इस स्तर पर लाया जाय कि किसी भी समय किसी भी लाभार्थी को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की पूर्ण जानकारी MIS से प्राप्त हो सके तथा पंचायतवार लाभार्थियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना आसान हो सके।

11/01/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 79 /गो0, दिनांक 11.01.2012

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/स्थापना उप समाहर्त्ता, मुंगेर/खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए अनुपालन प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

ह0/- 11/01/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 79 /गो0, दिनांक 11.01.2012

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 11/01/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।